न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0—51/2014—15

राज्य **बनाम** कृष्णा प्रसाद

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
22-2-19	**आदेश** अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर का पत्र सं0—868/आ0 दिनांक—01.08.2014 से मनेर थाना कांड सं0 265/14 में दर्ज प्राथमिकी की छाया—प्रति एवं जप्ती—सूची प्राप्त हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा जप्त समाग्रियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 की धारा—6ए के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है जिसके आलोक में दिनांक—08.10.2014 को प्रश्नगत वाद में आदेश पारित करते हुए विपक्षी (आरोपी) पर नोटिस निर्गत किया गया कि जप्त समाग्रियों के पक्ष में कोई साक्ष्य हो तो दिनांक—21.10.2014 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्वंय अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम् से पक्ष रखें। अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 की कंडिका—6 ए के प्रावधानों के अंतर्गत जप्त समाग्रियों को राज्सात (Confiscate) कर लिया जायेगा। विपक्षी (आरोपी) की उपस्थिति हेतु दैनिक समाचार पत्र **''राष्ट्रीय सहारा''** के संस्करण दिनांक—13.02.2015 को सूचना प्रकाशन कराया गया। तदोपरान्त दिनांक—21.07.2015 को हाजरी दिया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत वाद में लगाये गये आरोप के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। दिनांक—22.02.2019 को अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि जप्त सामग्री विनष्ट हो सकती है इसे राज्यसात (Confiscate) कर लिया जाय। इस प्रकार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आरोपी (विपक्षी) के पास जप्त सामग्रियों के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए मनेर थाना कांड सं0 265/14 में जप्त समाग्रियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा—6ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्यसात (Confiscate) किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को आदेश दिया जाता है कि मनेर थाना कांड सं0 265/14 में खाद्यान्नों—नीला अनुदानित किरासन तेल एवं अन्य समाग्रियों को बाजार दर पर बिक्री करा दें। बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि को सरकारी खजाना में कोषागार चालान से जमा कराकर चालान की मूल प्रति को अपने कार्यालय के अभिलेख में संघारित करें तथा चालान की एक छाया—प्रति को स्व0 हस्ताक्षर कर न्यायालय में भेज देगें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। कालान्तर में व्यवहार न्यायालय से प्राप्त आदेश के फलाफल का अनुपालन किया जायेगा। **लेखापित एवं संशोधित।** 22/2/19 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। 22/2/19 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।	[illegible]